झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी०एम०सी० / 179 / 2017 ..... राँची, दिनांक–.....

प्रेषक:

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद अंतर्गत पलामू जिले में छत्तरपुर प्रखंड के सुखनदिया मध्यम सिंचाई योजना के नहर के चेन सं० 109 से 278 तक नहर के जीर्णोद्धार एवं शाखा नहर (लोहराही से पिछूलिया तक) नहर के पुनर्निर्माण के साथ–साथ 25 अदद Outlet का निर्माण, एक अदद साइफन के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 63.218 लाख (रूपये तिरसठ लाख ईक्कीस हजार आठ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई राँची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद अंतर्गत पलामू जिले में छत्तरपुर प्रखंड के सुखनदिया मध्यम सिंचाई योजना के नहर के चेन सं० 109 से 278 तक नहर के जीर्णोद्धार एवं शाखा नहर (लोहराही से पिछूलिया तक) नहर के पुनर्निर्माण के साथ–साथ 25 अदद Outlet का निर्माण, एक अदद साइफन के जीर्णोद्धार हेतु लागत राशि रू0 63.218 लाख (रूपये तिरसठ लाख ईक्कीस हजार आठ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार द्वारा तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।

3. सुखनदिया मध्यम सिंचाई के बाँध एवं मुख्य नहर के 103 चेन तक के जीर्णोद्धार कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–3 / पी0एम0सी0 / प्रशा0स्वी0–30 / 2015–55 / 15–16 प्र0स्वी0 राँची दिनांक–17.02.16 द्वारा रू0 27.5580 लाख मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना के जीर्णोद्धार के उपरान्त 53 हेक्टेयर खरीफ एवं 12 हे0 रब्बी कुल 65 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता पुर्नजीवित होने का आकलन है।

4. वर्त्तमान में योजना के मुख्य नहर के चेन सं० 109 से 278 तक नहर के जीर्णोद्धार एवं शाखा नहर (लोहराही से पिछूलिया तक) के पुनर्निर्माण के साथ–साथ 25 अदद Outlet का निर्माण, एक अदद साइफन के जीर्णोद्धार कार्य का प्रावधान है। जिनका प्रावधान पूर्व की प्रशासनिक स्वीकृति में नहीं है।

5. विचाराधीन योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नशर्त्तो के साथ प्रदान की जाती है–

(i) पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य करने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।

(ii) नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्री–लेवल माप पुस्त में अंकित किया जाएगा एवं इसकी शत प्रतिशत जाँच सहायक अभियंता के द्वारा एंव (50%) पचास प्रतिशत जाँच कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। प्री–लेवल की जांच असम्बंद्ध प्रमंडल से कराने के उपरांत कार्यकारी प्राक्कलन तैयार किया जायगा।

(iii) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व जल की उपलब्धता, कमाण्ड क्षेत्र के आकलन तथा प्राक्कलन के मद एंव मात्रा की जाँच मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची द्वारा सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(iv) कराये जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुरूप अनुसूचित दर के मद को रखते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(v) योजना के कार्यान्वयन के पूर्व कार्यकारी प्राक्कलन में Manual Labour को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इससे संबंधित मदो का यथास्थित समावेश करते हुए प्राक्कलन की स्वीकृति दी जाएगी।

(vi) योजना का जीर्णोद्धार लोक निर्माण संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। योजना के जीर्णोद्धार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व लाभुक समिति का गठन किया जाएगा, जिनपर योजना के रख–रखाव का दायित्व होगा। **कार्यस्थल पर योजना के संचालन एवं रख रखाव का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति लाभुक समिति से प्राप्त नहीं होने पर योजना का जीर्णोद्धार कार्य आरम्भ नहीं किया जायेगा।**

(vii) उपरोक्त कंडिका '5' (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) के सम्पुष्टि के उपरांत ही योजना का कार्यान्वयन् प्रारंभ किया जाएगा।

6. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–101–सतही जल उपयोजना 20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य'' अंतर्गत भारित होगा।

7. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का जीर्णोद्धार कार्य उत्तम गुणवत्ता के साथ सम्पादित हो।

8. कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

9. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

10. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

11. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/179/2017 ..... **राँची, दिनांक–**.....

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3/पी०एम०सी०/179/2017 ..... **राँची, दिनांक–**.....

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिंयत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / 179 / 2017 .... राँची, दिनांक–.......................
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3 / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल मेदिनीनगर / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / 179 / 2017 .... राँची, दिनांक–.......................
प्रतिलिपिः आयुक्त पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / 179 / 2017 .... राँची, दिनांक–.......................
प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / 179 / 2017 3617 .... राँची, दिनांक–01.09.2017
प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

01/09/2017
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभियंत्रण)
01/09/17